राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 647/2000

1. राजस्थान सरकार को सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण, मिनी सचिवालय, बनी पार्क, जयपुर
2. पूरण सिंह पुत्र कन्हियालाल निवासी आई.टी.आई राजाखेड़ा जिला जोधपुर।

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री हरि किशन सैनी-उप.जी.सी.
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री शोभित तिवारी

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

आदेश सुरक्षित करने की तिथि	:	**25.05.2023**
आदेश उच्चारित करने की तिथि	:	**04.07.2023**

<u>निर्णय</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

1. इस याचिका में शामिल कानूनी मुद्दा यह है कि "क्या किसी कर्मचारी की तदर्थ सेवा को उसकी वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से गिना जा सकता है?"

2. याचिकाकर्तागण द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ यह याचिका दायर की गई है:-

> "इसलिए, विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय उच्च न्यायालय इस रिट याचिका को स्वीकार करने और अनुमति देने की कृपा करे और एक उचित रिट, आदेश या निर्देश द्वारा दिनांक 7.12.99 के आदेश को रद्द और आपास्त करे तथा दिनांक 14.08.98 का आदेश बरकरार रखा जाए।
>
> कोई अन्य राहत या आदेश जो यह माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी विनम्र याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।"

3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ नियम, 1975 (संक्षेप में, '1975 के नियम') के नियम 26 के तहत छह महीने की अवधि के लिए अस्थायी आधार पर दिनांक 06.02.1989 के आदेश के तहत कनिष्ठ प्रशिक्षक के पद पर प्रत्यर्थी संख्या 2 को नियुक्ति दी गई थी। अधिवक्ता का कहना है कि छह महीने की सेवा पूरी होने पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 की सेवाएं समाप्त कर दी गईं, जिसके खिलाफ प्रत्यर्थी संख्या 2 ने इस न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4451/1989 प्रस्तुत की। अधिवक्ता का कहना है कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान विभाग द्वारा उसी पद पर नियुक्ति के लिए नियमित चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 ने नियमित चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और उसे 1975 के नियमों के नियम 20 और 22 के अधीन दिनांक 30.05.1992 के आदेश द्वारा नियमित नियुक्ति दी गई थी। याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख अर्थात 30.05.1992 से वरिष्ठता के लाभ का दावा करने का पात्र है, लेकिन वरिष्ठता का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 ने राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (संक्षेप में, 'अधिकरण') में अपील दायर कर 06.02.1989 से वरिष्ठता की मांग की। अधिवक्ता का कहना है कि अधिकरण ने प्रत्यर्थी संख्या 2 की नियुक्ति 06.02.1989 से मानते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया है और तदनुसार, उस तारीख से उसे वरिष्ठता प्रदान की गई है। अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 की प्रारंभिक नियुक्ति पूरी तरह से एक अस्थायी नियुक्ति थी जो छह महीने पूरे होने के बाद समाप्त हो गई और उसके बाद 30.05.1992 को उसे नियमित नियुक्ति दी गई, इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 2 इसका पात्र नहीं है। दिनांक 01.07.2019 से किसी भी वरिष्ठता का दावा करें। इसलिए अधिकरण ने दिनांक 07.12.1999 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर अपील को अनुमति देने में त्रुटि की है।

4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को 06.02.1989 को नियुक्ति दी गई थी और वह उक्त पद पर बने रहे और उनकी सेवाएं कभी समाप्त नहीं की गईं। अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता का विभाग याचिकाकर्ता को दूसरे उम्मीदवार से बदलना चाहता था, इसलिए इस आशंका के तहत उसने एसबीसीडब्ल्यूपी नंबर 4451/1989 दाखिल करके इस अदालत का दरवाजा

खटखटाया। अधिवक्ता का कहना है कि उक्त याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता के विभाग ने दिनांक 30.05.1992 को आदेश पारित करके प्रत्यर्थी संख्या 2 की नियुक्ति जारी रखी। अधिवक्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को 06.02.1989 को कनिष्ठ प्रशिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था, इसलिए वह उसकी नियुक्ति की प्रारंभिक तारीख से ही वरिष्ठता का दावा करने का पात्र है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने **एल. चंद्रकिशोर सिंह बनाम मणिपुर राज्य एवं अन्य**, 1999 (8) एससीसी 287 में प्रकाशित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है जिसमें निर्णय दिया गया था कि कि वरिष्ठता सूची में स्थान निर्धारित करने के लिए निरंतर स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना के लिए स्थानापन्न नियुक्ति के रूप में प्रदान की गई सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों में, अधिकरण ने आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है, इसलिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. अधिवक्ता परिषद में की गई दलीलों को सुना गया और उन पर विचार किया गया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

6. स्वीकार्यतः प्रत्यर्थी संख्या 2 को 1975 के नियमों के नियम 26 के तहत अस्थायी आधार पर केवल छह महीने की अवधि के लिए दिनांक 06.02.1989 के आदेश के तहत कनिष्ठ प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद 1975 के नियमों के नियम 20 और 22 के तहत उसी पद पर नियुक्ति के लिए नियमित चयन प्रक्रिया शुरू की गई और प्रत्यर्थी संख्या 2 ने इस नियमित चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उसे दिनांक 30.05.1992 के आदेश के तहत नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता के विभाग ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को 06.02.1989 से उनकी अस्थायी नियुक्ति के कारण दिनांक 14.08.1998 के आदेश के तहत उसे 14.08.1998 से वरिष्ठता नहीं देने का निर्णय लिया। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उक्त आदेश को अधिकरण के समक्ष चुनौती दी और अधिकरण ने दिनांक 07.12.1999 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से इस आदेश दिनांक 14.08.1998 को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 का अस्थायी नियुक्ति आदेश (अर्थात 06.02.1989) रद्द नहीं किया गया था और वह उसी पद पर बने रहा और उसका नियमित नियुक्ति आदेश 30.05.1992 को जारी किया गया, इसलिए वह 06.02.1989 अर्थात उनकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से वरिष्ठता पाने के पात्र है।

7. अब जो प्रश्न इस न्यायालय के निर्णय और विचार के लिए बना हुआ है वह यह है कि

"क्या प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रदान की गई तदर्थ सेवा की अवधि को उसकी वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से गिना जा सकता है?"

8. इस मुद्दे का उत्तर देने से पहले उन प्रासंगिक नियमों को उद्धृत करना लाभप्रद होगा जो अस्थायी और नियमित नियुक्ति के प्रावधानों और प्रक्रिया से संबंधित हैं।

9. 1975 के नियमों का नियम 26 तत्काल अस्थायी नियुक्ति के प्रावधानों और प्रक्रिया से संबंधित है जो इस प्रकार है:

> "26. *अविलंब अस्थायी नियुक्ति-* सेवा में कोई रिक्ति जिसे नियमों के तहत सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरंत नहीं भरा जा सकता है, उसे नियुक्ति प्राधिकारी या नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, पदोन्नति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए पात्र एक अधिकारी को स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करके या सेवा में सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्ति को अस्थायी रूप से नियुक्त करके, जहां इन नियमों के प्रावधानों के तहत ऐसी सीधी भर्ती प्रदान की गई है, भरा जा सकता है:
>
> परंतु यह कि ऐसी नियुक्ति मामले को सहमति के लिए आयोग को संदर्भित किए बिना एक वर्ष की अवधि से अधिक जारी नहीं रखी जाएगी, जहां ऐसी सहमति आवश्यक है, और सहमति से इनकार करने पर तुरंत समाप्त कर दी जाएगी;
>
> परंतु यह और कि उस सेवा या सेवा में किसी पद के संबंध में जिसके लिए भर्ती के उपरोक्त दोनों तरीके निर्धारित किए गए हैं, नियुक्ति प्राधिकारी या नियुक्ति करने में सक्षम प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, सरकार के प्रशासनिक विभाग की विशिष्ट अनुमति के बिना अस्थायी रिक्ति को सीधी भर्ती के कोटे के तहत पूर्णकालिक नियुक्ति के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य से तीन माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं भर सकेगा जिसके लिए तथा अल्पावधि विज्ञापन भी जारी किया जाएगा।
>
> %"(2) पदोन्नति के लिए पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता की स्थिति में, सरकार उपरोक्त उप-नियम (1) के तहत आवश्यक पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तों के होते हुए भी,

वेतन और अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो वह अनुदेशित करे, तत्काल से अस्थायी आधार पर रिक्तियों को भरने की अनुमति देने के लिए सामान्य अनुदेश निर्धारित कर सकेगी। हालाँकि, ऐसी नियुक्तियाँ उक्त उप-नियम के तहत आवश्यक आयोग की सहमति के अध्यधीन होंगी।

10. इसी प्रकार नियम 20 नियुक्ति प्राधिकारी के आयोग की सिफारिशों के प्रावधान से संबंधित है और नियम 22 नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन के प्रावधान से संबंधित है। इन नियमों को इस प्रकार उद्धृत किया गया है:

"20. *आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी की सिफ़ारिशें*- आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, उन अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा जिन्हें वह संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त मानता है और योग्यता के क्रम में व्यवस्थित करेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा:

परंतु यह कि आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, विज्ञापित रिक्तियों के 50% की सीमा तक उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम आरक्षित सूची में रख सकता है। आयोग, मांग करने पर, नियुक्ति प्राधिकारी को योग्यता के क्रम में ऐसे उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश उस तारीख से छह महीने के भीतर कर सकता है, जिस दिन मूल सूची आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जाती है।

22. *नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन*- नियम 7 के प्रावधानों के अधीन, नियुक्ति प्राधिकारी उन उम्मीदवारों का चयन करेगा जो नियम 20 के तहत तैयार की गई सूची में योग्यता के क्रम में उच्चतम स्थान पर हैं:

परंतु यह कि सूची में उम्मीदवार का नाम शामिल किए जाने से नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी आवश्यक समझी जाने वाली जांच के बाद वह संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे उम्मीदवार संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी मामलों में उपयुक्त हैं।"

11. 1975 के नियमों के नियम 20, 22 और 26 और अधिकरण और इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 का प्रारंभिक नियुक्ति आदेश दिनांक 06.02.1989 विशुद्ध रूप से अस्थायी तदर्थ आधार पर था जबकि

आगामी नियुक्ति आदेश दिनांक 30.05.1992 उनकी नियमित नियुक्ति थी।

12. इस मुद्दे पर कि क्या तदर्थ सेवा की अवधि को वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से गिना जा सकता है, कानून को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई मामलों में निर्धारित किया गया है।

13. **डायरेक्ट रिक्रूट क्लास- II इंजीनियरिंग ऑफिसर एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य,** 1990 (2) एससीसी 715 में प्रकाशित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने पैरा 13 में निम्नानुसार प्रेक्षित किया है:

> "13. जब मामले हमारे सामने सुनवाई के लिए रखे गए, तो यह सुझाव दिया गया कि पटवर्धन के मामले में निर्धारित सिद्धांत अनुचित था और खारिज किए जाने योग्य था, लेकिन याचिका को प्रमाणित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। हमें पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक से अधिक बार निर्णय सुनाया गया और हम अनुपात निर्णय से पूरी तरह सहमत हैं, कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी नियुक्ति के बाद, वास्तविक नियुक्तियों के लिए लागू नियमों का पालन करते हुए निरंतर पद पर बने रहने की अवधि को, उसकी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए; और वरिष्ठता केवल पुष्टिकरण के परीक्षण पर निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्योंकि, जैसा कि बताया गया था, पुष्टिकरण सरकारी सेवा की घृणित अनिश्चितताओं में से एक है जो न तो पदधारी की दक्षता पर और न ही वास्तविक रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। परस्पर वरिष्ठता तय करने के सिद्धांत को अनुच्छेद 14 और 16 में वर्णित समानता के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। यदि कोई नियुक्ति सभी पात्र उपलब्ध व्यक्तियों के दावों पर विचार किए बिना और नियमों का पालन किए बिना, अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से की जाती है, तओ नियुक्ति के नियमों के अनुसार, नियुक्ति में गुणात्मक अंतर के कारण ऐसी नियुक्ति पर अनुभव को नियमित नियुक्त व्यक्ति के अनुभव के साथ बराबर नहीं किया जा सकता है। दोनों को बराबर करना दो असमानों को समान मानना होगा जो समानता खंड का उल्लंघन होगा। लेकिन यदि नियुक्ति सभी पात्र अभ्यर्थियों के दावों पर विचार करने के बाद की जाती है और नियुक्त व्यक्ति नियमित मौलिक नियुक्तियों के लिए बनाए गए नियमों

के अनुसार अपनी सेवा के नियमित होने तक निर्बाध रूप से पद पर बना रहता है, तो स्थानापन्न सेवा को वरिष्ठता के प्रयोजना के लिए बाहर करने का कोई कारण नहीं है। यदि प्रारंभिक नियुक्ति मौलिक नियुक्तियों पर लागू नियमों के अनुसार की जाती है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, तो भी स्थिति वैसी ही होगी।

14. **मलूक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य,** 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 876 में प्रकाशित मामले में **सीधी भर्ती (सुप्रा.)** के निर्णय का अनुसरण करते हुए, माननीय शीर्षस्थ न्यायालय ने निर्णय दिया है कि तदर्थ-सेवा को वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जा सकता है, यदि प्रारंभिक नियुक्ति एक कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में की गई है और नियमों के अनुसार नहीं है। कि पैरा 21, 22 और 23 में निम्नानुसार कहा गया है:-

"21. सीधी भर्ती (सुप्रा.) में निर्णय इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि प्रारंभिक नियुक्ति कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में की गई है और नियमों के अनुसार नहीं है तो तदर्थ सेवा को वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जा सकता है। सीधी भर्ती (सुप्रा.) पर 6 दिसंबर 1991 के निर्णय में एकल न्यायाधीश द्वारा यह भरोसा करना कि वर्तमान मामले में वरिष्ठता का लाभ प्रदान करने के लिए तदर्थ सेवा को गिना जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से अनुचित है। डायरेक्ट रिक्रूट्स (सुप्रा.) में निर्धारित इस सिद्धांत का बाद में केशव चंद्र जोशी बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय द्वारा पालन किया गया। हाल ही में राशि मणि मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने, जिनमें से हम में से एक (न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़) भी भाग थे, उत्तर प्रदेश तदर्थ नियुक्ति नियमितीकरण नियमावली की व्याख्या करते समय पाया कि तदर्थ कर्मचारियों द्वारा उनके नियमितीकरण से पहले प्रदान की गई सेवाओं को वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने कहा कि लागू नियमों के तहत, "मौलिक नियुक्ति" में तदर्थ नियुक्ति शामिल नहीं है और इस प्रकार वरिष्ठता जिसे "मौलिक नियुक्ति" से गिना जाना है, उसमें तदर्थ सेवा शामिल नहीं होगी। इस न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि तदर्थ सेवा के आधार पर वरिष्ठता

का लाभ प्रदान करने के लिए सीधी भर्ती (सुप्रा.) के निर्णय पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में की गई तदर्थ नियुक्तियाँ तदर्थ सेवा को वरिष्ठता का निर्धारण करने के लिए पात्र नहीं बनाती हैं। इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति एमआर शाह के माध्यम से बोलते हुए निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

"36. उपरोक्त चर्चा का सार और सत्व यह होगा कि समय-समय पर विस्तारित 1979 नियमों के निष्पक्ष अध्ययन पर; वर्ष 1985 में प्रारंभिक नियुक्ति आदेश और वर्ष 1989 में तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण के आदेश और प्रासंगिक सेवा नियमों, अर्थात् सेवा नियम, 1993 और वरिष्ठता नियम, 1991 को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, हमारा निष्कर्ष यह होगा कि 1979 के नियमों के अनुसार तदर्थ नियुक्तियों द्वारा उनके नियमितीकरण से पहले प्रदान की गई सेवाओं को वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा, और इसकी ही भांति सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार, जो 1989 से पहले नियुक्त किए गए थे और वे वर्ष 1985 में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता के पात्र नहीं हैं। परिणामी प्रभाव यह होगा कि वर्ष 2016 में वरिष्ठता के पश्चातवर्ती पुनर्निर्धारण को कायम नहीं रखा जा सकता है, जो कि 1989 से पहले अर्थात 1985 में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से तदर्थ नियुक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर विचार कर रहा था। इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए और वर्ष 1989 में उनके नियमितीकरण की तारीख से तदर्थ नियुक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गणना करते हुए 2001 की वरिष्ठता सूची को बहाल किया जाना चाहिए।

37. अब जहां तक सीधी भर्ती वर्ग II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसो. (सुप्रा.) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखने और तदर्थ नियुक्तियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इस पर भरोसा किए जाने का सवाल है, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उक्त निर्णय में भी यह देखा और माना गया है कि जहां प्रारंभिक नियुक्ति कामचलाऊ व्यवस्था के रूप केवल तदर्थ की गई

थी और नियमों के अनुसार नहीं थी, ऐसे पद पर स्थानापन्न को वरिष्ठता पर विचार करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, एक पद पर नियुक्तियाँ नियम के अनुसार की गई थीं, लेकिन तदर्थ के रूप में और बाद में उनकी पुष्टि की गई और इस पर इस न्यायालय ने देखा और माना कि जहां नियुक्तियाँ नियमों के अनुसार की जाती हैं, वहां वरिष्ठता की गणना ऐसी नियुक्ति की तारीख से की जानी चाहिए, न कि पुष्टि की तारीख से। वर्तमान मामले में, यह वर्ष 1989 में तदर्थ नियुक्तियों की सेवा की पुष्टि का मामला नहीं है। वर्ष 1989 में, 1979 के नियमों के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने और उनके नामों की 1979 के नियमों के तहत गठित चयन समिति अनुशंसा के बाद उनकी सेवाओं को नियमित किया गया है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, 1979 के नियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा उनके नामों की सिफारिश के बाद वर्ष 1989 में नियुक्तियों को "मौलिक नियुक्तियाँ" कहा जा सकता है। अतः तथ्यों के आधार पर भी सीधी भर्ती द्वितीय श्रेणी इंजीनियरिंग के मामले में निर्णय सही नहीं है। ऑफिसर्स एसो. (सुप्रा.) मौजूदा मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। पुनरावृत्ति के तौर पर, यह देखा गया है कि सीधी भर्ती वर्ग II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसो. (सुप्रा.) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर इस न्यायालय द्वारा संतोष कुमार (सुप्रा.) के मामले में विचार किया गया था जब इस न्यायालय ने 1979 के नियमों की व्याख्या की थी।

22. 3 मई 1977 की अधिसूचना में कहा गया कि तदर्थ नियुक्तियाँ नियमित नियुक्तियों की प्रत्याशा में प्रशासनिक हित में और संबंधित एजेंसियों के माध्यम से नियमित नियुक्ति करने में होने वाली देरी के कारण की गईं। इस संबंध में, रिक्तियों को रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किया गया था या नियुक्ति अधिकारियों द्वारा, जैसा भी मामला हो, विज्ञापन जारी किए गए थे। पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की सिफारिश पर नियुक्तियां नहीं की गईं। हालाँकि, बाद में तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया क्योंकि सेवा

की काफी अवधि के बाद उन्हें निकाल बाहर करने में कठिनाई हो सकती थी। इस प्रकार, प्रारंभिक नियुक्ति को नियमों के अनुरूप नहीं होने के अलावा एक कामचलाऊ व्यवस्था माना जाता था, और तदर्थ सेवा को वरिष्ठता के उद्देश्य से नहीं गिना जा सकता है।

23. अब सवाल यह है कि मलूक सिंह निर्णय में दिए गए निर्णय से कौन बाध्य होगा, जिसे बाद में गुरमेल सिंह मामले में खारिज कर दिया गया था। राजस्थान राज्य बनाम नेमी चंद महेला मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निम्नलिखित शब्दों में न्यायिक सिद्धांत और मिसाल के कानून के बीच अंतर को स्पष्ट किया है:

> "11...दानवीर सिंह के मामले से संबंधित मनमोहन शर्मा मामले [मनमोहन शर्मा बनाम राजस्थान राज्य, (2014) 5 एससीसी 782: (2014) 2 एससीसी (एल एंड एस) 8] में पैरा 22 और 23 में दिए गए तर्क में *रेस ज्यूडिकाटा* के सिद्धांत और मिसाल के कानून के बीच अंतर प्रतिबिंबित होंगे। *रेस ज्यूडिकाटा* व्यक्तिगत रूप से संचालित होता है अर्थात पूर्व मुकदमेबाजी में समान पक्षों के बीच का मामला, जबकि मिसाल का कानून *रेम* में संचालित होता है अर्थात एक बार तय हुआ कानून उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी पर बाध्यकारी होता है। *रेस ज्यूडिकाटा* पक्षों को कार्यवाही के लिए बाध्य करता है इस कारण से कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए और इसलिए, मुकदमेबाजी में पक्षों के बीच पश्चातवर्ती कार्यवाही पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए, न्यायिक न्याय का कानून एक ही मामले से संबंधित है, जबकि मिसाल का कानून एक समान मुद्दे में कानून के अनुप्रयोग से संबंधित है। *रेस ज्यूडिकाटा* में, निर्णय की शुद्धता आम तौर पर महत्वहीन होती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछला निर्णय सही था या गलत, जब तक कि गलत निर्धारण उस निकाय के क्षेत्राधिकार संबंधी मामले से संबंधित न हो।

15. संक्षेप में इस न्यायालय ने माना कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को कनिष्ठ प्रशिक्षक के पद पर 06.02.1989 को छह महीने की अवधि के लिए 1975 के नियमों के नियम 26 के तहत

तत्काल अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था और उसकी अस्थायी सेवा बनी हुई थी और उसे विस्तारित अवधि के लिए जारी रखा गया था और विभाग उसकी अस्थायी सेवा को अन्य अस्थायी कर्मचारी की नियुक्ति से बदलना चाहता था, जिसके लिए उसने इस न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4451/1989 दायर की थी और इस दौरान 1975 के नियमों के नियम 20 और 22 के तहत नियमित चयन प्रक्रिया शुरू की गई और प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उस प्रक्रिया में भाग लिया और 30.5.1992 को उसे नियमित नियुक्ति दी गई। इसलिए उनकी प्रारंभिक नियुक्ति केवल कामचलाऊ व्यवस्था थी। इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 2 दिनांक 06.02.1989 से वरिष्ठता प्राप्त करने का पात्र नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 2 उस सेवा अवधि के लिए वरिष्ठता पाने का पात्र नहीं है जो उसने तदर्थ अस्थायी कर्मचारी के रूप में प्रदान की थी।

16. ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, याचिका सफल होती है और अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.12.1999 को रद्द और आपास्त कर दिया जाता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

17. स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन(नों), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

18. खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति

Ashu/43

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।